विधान सभा मामला

ई0डी0एन0–ए0–क (03)17/2024
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधानसभा,
शिमला–171004।

दिनांक शिमला–02 3 सितम्बर, 2024

विषयः हिमाचल प्रदेश प्राइवेट संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 का प्रस्तुतिकरण।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश प्राइवेट संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 **(2024 का विधेयक संख्यांक 7)** विधानसभा के चालू अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

विधेयक की तीन अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न है। विधेयक को अपनी सुविधानुसार इसी विधान सभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,
रोहित ठाकुर
(रोहित ठाकुर)
शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–171002 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2।
2. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
3. रक्षक नस्ति।

अवर सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2024 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 13 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

धारा 13 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

> "(3) आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय की बाबत प्राईवेट विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयोग को यथा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर उसकी सिफारिशों को राज्य सराकर को प्रस्तुत करेगा जो उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश प्राईवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना हिमाचल प्रदेश प्राईवेट शिक्षा संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन राज्य में एक विनियामक तंत्र प्रदान करने और प्राईवेट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अंतर्परिपथ (इंटरफेस) के रूप में कार्य करने और उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक मामलों हेतु की गई है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13, यद्यपि राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों का लेखा विवरण देने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उसे विधान सभा के समक्ष रखे जाने का उपबंध करती है, तथापि इसके द्वारा विनियमित किए जाने वाले संबंधित प्राईवेट विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे विधान सभा के समक्ष रखे जाने का कोई उपबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने अधिनियम के सुसंगत उपबंध में इस निमित्त संशोधन करने की सिफारिश की है। अतः प्रस्तावित प्रारूप विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश प्राईवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 में संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)
प्रभारी मंत्री।

शिमला
तारीख....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(रोहित ठाकुर)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः ....., 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा:

13. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का विवरण दर्शाती एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित किया जाए और राज्य सरकार को ऐसी प्रत्येक रिपार्ट को इसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को आयोग के संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे लेखों को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2024

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 13.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission has been established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions and for the matter connected therewith or incidental thereto.

Section 13 of the Act *ibid.* although provides for submitting a report giving an account of its activities during the previous year to the State Government for laying the same before the Legislative Assembly, yet there is no provision to lay the annual report of accounts of the respective private universities being regulated by it before the Legislative assembly. The Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended an amendment to this effect in the relevant provisions of the Act. It is for this purpose that the proposed draft Bill seeks to amend section 13 of the Himachal Pradesh Private Educational institutions (Regulatory Commisssion)Act, 2010 to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ROHIT THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The.....2024

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission), 2010(Act No. 15 of 2011).

(ROHIT THAKUR)
Minister-in-charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

The.....2024

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) ACT, 2010 (ACT NO. 15 of 2011) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

Section 13. Annual Report.—(1) The Commission shall, as soon as, may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the State Government, shall cause every such report to be laid before the Legislative Assembly, as soon as may be, after its receipt.

(2) The Commission shall send a copy of the audited annual accounts of the Commission to the State Government every year, and the State Government shall cause such accounts to be laid before the Legislative Assembly.

Higher and Elementary Education
Minister, Himachal Pradesh